

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

#### खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग

लखनऊः दिनांक: 22 फरवरी, 2017

विषय :-

उम्प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के क्रियान्वयन के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया खाद्य प्रसंस्करण विभाग के शासनादेश संख्या-36/2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक: 21.12.2017, जिसके द्वारा उम्प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गये हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-21.12.2017 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

दिशा-निर्देश का प्रस्तर	पूर्व प्राविधान	संशोधित/अद्यतन प्राविधान
1.	नीति की अवधि/प्रस्तावों की पात्रता: इस योजना के अन्तर्गत वह खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ पात्र होंगी जो अधिसूचना संख्या-33/ 2017/1105/ 58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक 27.10.2017 की तिथि से पाँच वर्ष तक की अवधि में प्लान्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गये सावधि ऋण (टर्म लोन) की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी हो 05 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।	नीति की अवधि/प्रस्तावों की पात्रता: इस योजना के अन्तर्गत वह खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ पात्र होंगी जो अधिसूचना संख्या-33/ 2017/1105/ 58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक 27.10.2017 की तिथि से पाँच वर्ष तक की अवधि में प्लान्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गये सावधि ऋण (टर्म लोन) की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी हो 05 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी। आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे।
2.	वित्तीय अनुदान एवं रियायतें: उम्प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को रियायतें एवं अनुदान सुविधायें अनुमन्य होंगी:-	वित्तीय अनुदान एवं रियायतें: उम्प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, पूर्व से स्थापित इकाईयों के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/तकलीकी उन्नयन हेतु निम्नांकित विवरण के अनुसार रियायतें एवं अनुदान सुविधायें अनुमन्य होंगी :-
2.1 (क)	पैंजीगत निवेश अनुदान:- खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाईयों की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/ उन्नयन पर प्लान्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु. 50 लाख की सीमा तक दो समान किश्तों में अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। उद्यमी के पास जात स्वोतों से परियोजना हेतु धनराशि की उपलब्धता होने की स्थिति में ऋण लेने की अनिवार्यता नहीं होगी।	पैंजीगत निवेश अनुदान:- खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाईयों की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/ उन्नयन पर प्लान्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु. 50 लाख की सीमा तक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। उद्यमी के पास जात स्वोतों से परियोजना हेतु धनराशि की उपलब्धता होने की स्थिति में ऋण लेने की अनिवार्यता नहीं होगी।

(ख)	भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पद योजना (कृषि-समुद्दी प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण कलस्टर विकास स्टीफिल) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली फल एवं शकाम्बरी प्रसंस्करण आधारित (नवीन/विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/उच्चयन) इकाईयों को प्लान्ट नशीली एवं तकनीकी सिविल कार्यों लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूँजीगत नियेश समान विश्वासी में उपलब्ध कराया जायेगा।	भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पद योजना एवं स्वीकृत उत्तर प्रदेश की मेंगा फूट पार्क प्रसंस्करण किसानों नियंत्रकों पात्र परियोजना लागत व्हेळतम पूँजी नियेश रु. 50 करोड या अधिक हो, को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान सरकार के पेटर्न पर 4 (चार) किलों (30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत व 20 प्रतिशत) में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
(ग)	भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पद योजना में स्वीकृत उत्तर प्रदेश की मेंगा फूट पार्क प्रसंस्करण किसानों नियंत्रकों पात्र परियोजना लागत व्हेळतम पूँजी नियेश रु. 50 करोड या अधिक हो, को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान सरकार के पेटर्न पर 4 (चार) किलों (30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत व 20 प्रतिशत) में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। परन्तु, प्रस्तर-2.1 (क) में प्राविधिकत सुविधा प्रस्तर-2.2 (ख एवं ग) से आच्छादित प्रस्तावों को अनुमत्य नहीं होगी।	भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पद योजना में स्वीकृत उत्तर प्रदेश की मेंगा फूट पार्क प्रसंस्करण किसानों नियंत्रकों पात्र परियोजना लागत व्हेळतम पूँजी नियेश रु. 50 करोड या अधिक हो, को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान सरकार के पेटर्न पर 4 (चार) किलों (30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत व 20 प्रतिशत) में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
3.	आवेदन पत्र की प्राप्ति:- वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के अधिकृत प्रतिविष्ट द्वारा विधिवत रुप पत्र पर (इच्छक पूछ पर हस्ताक्षर एवं नवचर डालकर) आवेदन योग्यता सहित तीन वर्षों में स्टेट नोडल एजेन्सी (निदेशालय उदात एवं याद्य प्रसंस्करण 30प्र०) को प्रस्तुत करेंगे।	आवेदन पत्र की प्राप्ति:- वित्तीय सहायता अनुदान प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के अधिकृत प्रतिविष्ट द्वारा विधिवत रुप पत्र पर (इच्छक पूछ पर हस्ताक्षर एवं नवचर डालकर) आवेदन योग्यता सहित तीन वर्षों में स्टेट नोडल एजेन्सी (निदेशालय उदात एवं याद्य प्रसंस्करण 30प्र०) को प्रस्तुत करेंगे।
3.1	उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण से सन्बद्धित आवेदन व्यवसायिक उत्पादन थेटु किये जाने में कम से कम दो माह पूर्व नोडल एजेन्सी को प्राप्त होना आवश्यक है। व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त उपलब्ध यात्राएं गये आवेदन विद्युत योग्यता की जायें। अनुदान हेतु आवेदन विद्युत योग्यता की विधि को शह-प्रतिशत निर्णय कार्य, कमीन एवं उपकरणों की स्थापना तथा शह-प्रतिशत तर्फ लोन उपयोग होने की दशा में अनुदान हेतु आवेदन गाहुय नहीं होगा।	उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण से सन्बद्धित आवेदन व्यवसायिक उत्पादन थेटु किये जाने में कम से कम दो माह पूर्व नोडल एजेन्सी को प्राप्त होना आवश्यक है। व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त उपलब्ध यात्राएं गये आवेदन विद्युत योग्यता की जायें। अनुदान हेतु आवेदन विद्युत योग्यता की विधि को शह-प्रतिशत निर्णय कार्य, कमीन एवं उपकरणों की स्थापना तथा शह-प्रतिशत तर्फ लोन उपयोग होने की दशा में अनुदान हेतु आवेदन गाहुय नहीं होगा।
3.3	उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण हेतु उपादान के आवेदन व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के विलक्षण छ: माह के भीतर विधिवत प्रारूप पर प्रस्तुत किये जायेंगे।	आवेदन प्रपत्र के साथ वाचित अभिलेख विलोपित।
8.	आवेदन प्रपत्र के साथ वाचित अभिलेख पूँजी नियेश अनुदान एवं द्वारा उपादान योजनान्वर्त यात्रा प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/ विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण उत्पादन मंत्री किसान सम्पद योजनान्वर्त भारत सरकार द्वारा स्वीकृत फल एवं शाक-आलो इकाईयों हेतु वाचित अभिलेख।	आवेदन प्रपत्र के साथ वाचित अभिलेख पूँजी नियेश अनुदान एवं द्वारा उपादान योजनान्वर्त यात्रा प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/ विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण उत्पादन मंत्री किसान सम्पद योजनान्वर्त भारत सरकार द्वारा स्वीकृत फल एवं शाक-आलो इकाईयों हेतु वाचित अभिलेख।
8.1	पूँजी नियेश अनुदान एवं द्वारा उपादान योजनान्वर्त यात्रा प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/ विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण उत्पादन मंत्री किसान सम्पद योजनान्वर्त भारत सरकार द्वारा स्वीकृत फल एवं शाक-आलो इकाईयों हेतु वाचित अभिलेख।	(5) विलोपित।
8.4	(5) किये गये नियम कार्य हेतु वस्तुत्वार मूल्यवार चारों एकाउण्ट द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उत्के द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त विवरणों को अली भाँति परिक्षण कर लिया गया है और वह विवरावसार मैंक है। (एकेकर्ज-पृ/2)	एकाउण्ट द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उत्के द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त विवरणों को अली भाँति परिक्षण कर लिया गया है और वह विवरावसार मैंक है। (एकेकर्ज-पृ/2)

	(6) क्रय की गई मशीन उपकरणों का बस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल वाठवर्स की अच्छी तरह जांच कर ली गई है और वह नियमानुसार ठीक है। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। (एनेकजर-ए/3)	(6) विलोपित।
	(7) निर्धारित प्रारूप पर चार्टड इन्जीनियर (सिविल) द्वारा तकनीकी सिविल कार्य का मदवार एवं लागतवार (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) प्रमाणित विवरण। (एनेकजर-ए/7)	(7) निर्धारित प्रारूप पर चार्टड इन्जीनियर (सिविल) द्वारा तकनीकी सिविल कार्य का मदवार एवं लागतवार (स्टीमेट पर आधारित) प्रमाणित विवरण। (एनेकजर-ए/7)
	(8) निर्धारित प्रारूप पर चार्टड इन्जीनियर (मैकेनिकल) द्वारा प्लान्ट-मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) का प्रमाणित विवरण। (एनेकजर-ए/8)	(8) निर्धारित प्रारूप पर चार्टड इन्जीनियर (मैकेनिकल) द्वारा प्लान्ट-मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स (कोटेशन/एन्वाइस आधारित) प्रमाणित विवरण। (एनेकजर-ए/8)
	(10) संगठन के आफिस वियरर/प्रोमोटर का स्वहस्ताक्षरित बायो-डाटा।	(10) विलोपित।
	(11) विस्तारीकरण/उच्चीकरण की दशा में, पिछले तीन वर्षों हेतु चार्टड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित आइटेड स्टेटमेण्ट और वार्षिक प्रतिवेदन।	(11) विलोपित।
	(12) बिल्डिंग प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदित ब्लू प्रिन्ट एवं उद्योगशाला का भू-अभिलेख (हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में)।	(12) बिल्डिंग प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदित मानचित्र एवं उद्योगशाला का भू-अभिलेख (हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में)।
	(14) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र।	(14) विलोपित।
	(15) अकृषि भूमि का सक्षम स्तर से जारी प्रमाणपत्र।	(15) विलोपित।
	(16) अधिनशमन प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी)।	(16) विलोपित।
	(17) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त (एफ.एस.ए.आई.)पंजीकरण/ लाइसेंस।	(17) विलोपित।
	(18) मांस प्रसंस्करण इकाई हेतु जिला प्रशासन से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	(18) विलोपित।
	(19) परियोजना से सम्बन्धित अन्य लाइसेंस।	(19) विलोपित।
	(20) रु. 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र कि उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत समस्त अभिलेख सत्य एवं सही हैं तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। (एनेकजर-ए/6)	(20) रु. 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र कि उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत समस्त अभिलेख सत्य एवं सही हैं तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। (एनेकजर-ए/6)
	(21) रु. 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Agreement of indemnity) (द्व्याज उत्पादन हेतु एनेकजर-ए/9)	(21) विलोपित।
	(22) क्रियान्वयन समय सारणी, जिसके अन्तर्गत:- (अ) भूमि अधिग्रहण की तिथि। (ब) भवन निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि। (स) निर्माण पूर्ण होने की तिथि। (द) प्लान्ट और मशीनरी के क्रय हेतु आदेश निर्गत करने की तिथि। (य) प्लान्ट और मशीनरी के स्थापन/संस्थापन की तिथि। (र) उत्पादन के ट्रायल की तिथि। (ल) व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की तिथि।	(22) विलोपित।
8.2	द्व्याज उत्पादन हेतु प्रस्तर 8.1 में वर्णित अभिलेख के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से निम्नांकित अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे:-	विलोपित।

8.2.1	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि (व्यवसायिक कार्य चालन अर्थात् प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि) से सम्बंधित प्रमाण पत्र (इकाई हेतु व्याज उपादान सम्बन्धी)।	विलोपित।
8.2.2	निर्धारित प्रारूप पर बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा व्याज उपादान/अनुदान हेतु बैंक क्लेम प्रपत्र। (एनेकजर- ए/14)	विलोपित।
8.2.3	निर्धारित प्रारूप (एनेकजर-ए/4) पर चार्ट एकाउण्टेन्ट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।	विलोपित।
8.2.4	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि हेतु अवमुक आदेश। (सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों हेतु)	विलोपित।
8.3	प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत मेंगा फूड पार्क इकाईयों हेतु निर्धारित प्रारूप (एनेकजर-बी) पर आवेदन के साथ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि अवमुक करने के सापेक्ष संस्था द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां।	प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत मेंगा फूड पार्क इकाईयों हेतु निर्धारित प्रारूप (एनेकजर-बी) पर आवेदन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां।
8.4	<p>रीफर व्हेकिल्स/मोबाईल प्री-कूलिंग वैन्स हेतु वांछित अभिलेख:</p> <p>(6) संस्था के प्रोमोटर का बायोडाटा/पृष्ठभूमि।</p> <p>(11) न्यूनतम रु. 100 के नान-जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र कि -</p> <p>(अ) संस्था द्वारा रीफर व्हेकिल्स/प्री-कूलिंग वैन्स का इस्तेमाल अपनी यूनिट/जॉब बेसिस पर परिवहन (उत्पाद का नाम) हेतु किया जायेगा।</p> <p>(ब) यह कि संस्था द्वारा जॉब वर्क के लिए स्टेक होल्डर के साथ टाई-अप किया गया है।</p> <p>(स) यह कि मैं रीफर व्हेकिल्स/प्री-कूलिंग वैन्स का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों हेतु नहीं किया जायेगा।</p> <p>(12) न्यूनतम रु. 100 के नान-जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र कि-</p> <p>(अ) कि संस्था/इसके सहयोगी संस्था/ कम्पनी/समूह की कम्पनी अथवा आवेदक के स्वयं की कम्पनी द्वारा इस प्रोजेक्ट हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार अथवा अन्य से पूर्व में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गयी है। यदि हाँ, तो उसका विवरण साक्ष्यों सहित।</p> <p>(ब) यह कि संस्था द्वारा किसी मंत्रालय/भारत सरकार के विभाग/भारत सरकार की संस्था/संगठन और राज्य सरकार से इस प्रयोजन के लिए के लिए न तो आवेदन किया गया है और न ही सहायता प्राप्त की गयी है।</p> <p>(13) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत रीफर वैन के वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रारम्भ करने की तिथि (व्यवसायिक कार्य चालन अर्थात् प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि) से सम्बंधित प्रमाण पत्र।</p>	<p>रीफर व्हेकिल्स/मोबाईल प्री-कूलिंग वैन्स हेतु वांछित अभिलेख:</p> <p>(6) विलोपित।</p> <p>(11) विलोपित।</p> <p>(12) आंशिक संशोधित। (रु.100 के नान-जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ-पत्र)</p> <p>(13) विलोपित।</p> <p>(15) रीफर व्हेकिल्स/मोबाईल प्री-कूलिंग वैन हेतु चार्ट इन्जीनियर (मैकेनिकल) द्वारा प्रमाणित निर्धारित प्रारूप पर ट्रैकिंग स्पेसिफिकेशन का विवरण। (एनेकजर-ए/12)</p>

9. पूँजीगत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त करने की प्रक्रिया: अनुदान/वित्तीय सहायता सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और अनुमोदन के पश्चात दो समान किश्तों में जारी की जायेगी। अनुदान धनराशि अप्रेजिंग बैंक को अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा सावधि क्रृष्ण अवधि में उद्यमी/क्रृष्ण प्रासकर्ता के नाम से फिक्स डिपाजिट के रूप में रखी जायेगी, जिस पर बैंक द्वारा कोई व्याज नहीं दिया जायेगा तथा अनुदान धनराशि के बराबर संस्था द्वारा लिये गये सावधि क्रृष्ण पर कोई व्याज नहीं दिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किश्त की धनराशि व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने/अनुदान धनराशि अवमुक्त होने के तीन वर्ष बाद उद्यमी के क्रृष्ण खाते में समायोजित की जायेगी। यदि संस्था द्वारा तीन वर्षों के पहले इकाई बन्द कर दी जाती है तो बैंक में रखी फिक्स डिपाजिट धनराशि मय व्याज स्टेट नोडल एजेन्सी विभाग को वापस करनी होगी।	पूँजीगत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त करने वी प्रक्रिया: पूँजीगत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त करने वी प्रक्रिया अनुदान/वित्तीय सहायता सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और अनुमोदन के पश्चात जारी की जायेगी। अनुदान धनराशि अप्रेजिंग बैंक को अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा उद्यमी/क्रृष्ण प्रासकर्ता के टर्म लोन खाते में जमा किया जायेगा। धनराशि व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने के बाद अवमुक्त की जायेगी। यदि संस्था द्वारा तीन वर्षों के पहले इकाई बन्द कर दी जाती है तो अवमुक्त की गयी धनराशि मय व्याज स्टेट नोडल एजेन्सी विभाग को वापस करनी होगी।
9.1 (क) पूँजीगत अनुदान की प्रथम किश्त का अवमुक्त किया जाना: संस्था/फर्म द्वारा टर्म लोन की 50 धनराशि तथा प्रोमोटर अंश की 50 प्रतिशत धनराशि व्यय कर लिये जाने, संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिये जाने तथा निम्नलिखित अभिलेख जमा करने के उपरान्त अनुदान की प्रथम किश्त अवमुक्त की जायेगी:- (1) लाभार्थी/संस्था द्वारा रु. 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Agreement of indemnity) पत्र (एनेग्जर-ए/9) (2) लाभार्थी/संस्था द्वारा रु.100/- के नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर नोटरीकृत शपथ पत्र कि उसके द्वारा प्रक्षगत योजना हेतु किसी अन्य संस्था/संगठन से वित्तीय अनुदान न तो प्राप्त किया गया है और न ही आवेदन किया गया है। (एनेग्जर-ए/10) (3) बैंक/वित्तीय संस्था से 50 प्रतिशत टर्म लोन अवमुक्त किये जाने तथा उसके सदृपयोग किये जाने एवं बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनको राज्य द्वारा अनुदान की प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। (एनेग्जर-ए/12) (4) चार्ट्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अपने सदस्यता नम्बर सहित लेटर हेड पर निर्धारित रूप पत्र पर परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित्त के स्रोत एवं 50 प्रतिशत या अधिक अंश पूँजी और टर्म लोन के व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (एनेग्जर-ए/4) (5) क्रय की गई मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल वाउचर्स की अच्छी तरह जांच कर ली गई है और वह ठीक है। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्ट्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। (एनेग्जर-ए/3) (6) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचरों को भली भांति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक है। (एनेग्जर-ए/2)	आंशिक संशोधित। इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने के उपरान्त निम्नलिखित अभिलेख प्राप्त कर अनुदान धनराशि अवमुक्त की जायेगी:- (1) लाभार्थी/संस्था द्वारा रु.100/- के नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर नोटरीकृत शपथ पत्र कि उसके द्वारा प्रक्षगत योजना हेतु किसी अन्य संस्था/संगठन से वित्तीय अनुदान न तो प्राप्त किया गया है और न ही आवेदन किया गया है। (एनेग्जर-ए/10) (2) बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र की उन्हें राज्य द्वारा अनुदान की धनराशि अवमुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। (एनेग्जर-ए/11) (3) किये गये निर्माण कार्य हेतु सी0ए0 प्रमाण-पत्र (एनेग्जर-ए/2) (4) क्रय की गई मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर सी0ए0 प्रमाण-पत्र (एनेग्जर-ए/3) (5) चार्ट्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अपने सदस्यता नम्बर सहित निर्धारित रूप पत्र पर प्रमाण पत्र (एनेग्जर-ए/4) (6) चार्ट्ड इंजीनियर सिविल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार किये गये निर्माण का विवरण। (एनेग्जर-ए/7) (7) चार्ट्ड इंजीनियर मैकेनिकल द्वारा प्रदत्त मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण। (एनेग्जर-ए/8) (8) लघु उद्योग (एस0एस0आई0)/इन्डस्ट्रीशियल इंटरप्रेनियर्स मेमोरैन्डम (आई0एम0) उद्योग आधार पंजीकरण इत्यादि। (9) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त (एफ.एस.ए.आई.)पंजीकरण/ लाइसेंस। (10) रु. 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Agreement of indemnity)। (व्याज उपादान हेतु एनेग्जर-ए/9) (11) निदेशालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट।

<p>(7) चार्ट्ड इंजीनियर सिविल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार किये गये निर्माण का विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता औद्योगिक उपयोग हेतु ठीक है तथा इसके साथ बिल्डिंग के प्रमाणित फोटोग्राफ दिनांक सहित (एनेगजर-ए/7)</p> <p>(8) चार्ट्ड इंजीनियर ऐकेनिकल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि क्रय किये गये समस्त मशीन उपकरण नवीन हैं तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। इकाई के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मशीन उपकरणों की प्रमाणित सूची (एनेगजर-ए/8)</p> <p>(9) अनुदान की प्रथम किश्त अवमुक्त से पूर्व निदेशालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा एवं समिति की संस्तुति के अनुसार अनुदान के भुगतान की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।</p> <p>(10) किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त सम्बन्धी आदेश। (यदि लागू हो)</p>	<p>(12) किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किश्त सम्बन्धी आदेश। (यदि लागू हो)</p> <p>(13) मेंग फूड पार्क हेतु संस्था के प्रस्ताव पर धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने के सापेक्ष आवश्यक प्रमाणित अभिलेख प्राप्त कर सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।</p>
<p>9.2 (ख) पूँजीगत अनुदान की द्वितीय किश्त का जारी किया जाना:</p> <p>अनुदान की द्वितीय किश्त इकाई में व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की पुष्टि होने के बाद संयुक्त निरीक्षण दल (जे०आई०टी०) द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिये जाने तथा संस्था द्वारा टर्म लोन की 100 प्रतिशत धनराशि तथा प्रोमोटर अंश की 100 प्रतिशत धनराशि के साथ-साथ अनुदान की प्रथम किश्त उपयोग कर लिये जाने सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने के उपरान्त जारी की जायेगी:-</p> <p>(1) लाभार्थी/संस्था के प्रोमोटर द्वारा हस्ताक्षरित तथा चार्ट्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अभिप्रमाणित और बैंक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रपत्र सं०- जी०एफ०आर० 19 ए पर उपयोगिता प्रमाणपत्र। (एनेगजर-ए/5)</p> <p>(2) चार्ट्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित के स्रोत एवं 100 प्रतिशत अंश पूँजी और टर्म लोन के व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र। (एनेगजर-ए/4)</p> <p>(3) बैंक/द्वितीय संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र की उनके द्वारा 100 प्रतिशत टर्म लोन और अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है और उन्हे राज्य द्वारा अनुदान की द्वितीय किश्त अवमुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। (एनेगजर-ए/12)</p> <p>(4) क्रय की गई मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर सी०ए० द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल वाठचर्स की अच्छी तरह जाचं कर ली गई हैं और वह ठीक हैं। बिलवार/वाठचरवार भुगतान चार्ट्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। (एनेगजर-ए/3)</p> <p>(5) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार सी०ए० द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल वाठचरों को भली भांति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक हैं। (एनेगजर-ए/2)</p>	<p>विलोपित।</p>

<p>(6) चार्टड इंजीनियर सिविल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार किये गये निर्माण का विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता औद्योगिक उपयोग हेतु लीक है तथा इसके साथ बिल्डिंग के प्रमाणित फोटोग्राफ दिनांक सहित। (एनेगजर-ए/7)</p> <p>(7) चार्टड इंजीनियर ऐकेनिकल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार मरीज उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि क्रय किये गये समस्त मरीज उपकरण नवीन हैं तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। इकाई के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मरीज उपकरणों की प्रमाणित सूची। (एनेगजर-ए/8)</p> <p>(8) नोटरीकृत जमानती शपथ पत्र- निर्धारित रूप पत्र पर दी गयी सूचनायें सत्य हैं इस आशय का नोटरीकृत प्रमाणपत्र संलग्न किया जायेगा। (एनेगजर-ए/6)</p> <p>(9) निर्देशालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाये की परियोजना का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हो गया है तथा इकाई व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी है। इकाई को द्वितीय किशत अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>(10) किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त द्वितीय किशत सम्बन्धी आदेश। (यदि लागू हो)</p> <p>(10.1) मेंगा फूड पार्क हेतु संस्था के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि अवमुक्त करने के सापेक्ष (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सत्यापित) आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।</p>	
<p>10. व्याज उत्पादन की स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया: आवेदक संस्था द्वारा प्लाण्ट मरीजरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स अथवा रीफर व्हेकिल/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन (एक या एक से अधिक) हेतु वैक द्वारा वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये व्याज का वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (एनेकजर-ए/13, ए/14 तथा रीफर व्हेकिल हेतु ए/15) पर जारी प्रमाण-पत्र स्टेट नोडल एजेन्सी फूड प्रोसेसिंग को उपलब्ध कराना होगा। आवेदन-पत्र (एनेकजर-ए अथवा सी) वांछित प्रपत्रों के साथ प्राप्त होने के पश्चात सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। तत्पश्चात इकाई से नान-जूडिशियल स्टाम्प ऐपर पर प्राप्तिकृत संस्था के साथ क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (एनेकजर-ए/9) सम्पादित कराया जायेगा। अनुबन्ध के उपरान्त स्टेट नोडल एजेन्सी द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर व्याज उत्पादन धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>	<p>आंशिक संशोधित।</p> <p>व्याज उत्पादन अवमुक्त करने हेतु प्रक्रिया:</p> <p>(1) आवेदक संस्था द्वारा प्लाण्ट मरीजरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स अथवा रीफर व्हेकिल/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन (एक या एक से अधिक) हेतु वैक द्वारा वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये व्याज का वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (एनेकजर-ए/13, ए/14 तथा रीफर व्हेकिल हेतु ए/15) पर क्लेम।</p> <p>(2) लाभार्थी/संस्था के प्रोमोटर द्वारा हस्ताक्षरित, चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा अभिप्राणित तथा वैक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रपत्र सं०- जी०एफ०आर० 19 ए पर उपरोगिता प्रमाणपत्र। (एनेगजर-ए/5)</p>
13. प्रशासनिक व्ययः	विलोपित।
13.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वीकृत लाभों की धनराशि के 2 प्रतिशत के बाबाद की राशि के प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति स्टेट नोडल एजेन्सी को की जायेगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा लिया जायेगा।	विलोपित।

(8)

13.2	<p>वृहत खाय प्रसंस्करण इकाईयों एवं मेंगा फूड पार्क के प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वीकृत लाभों की धनराशि के 1.5 प्रतिशत के बराबर की राशि के प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति स्टेट नोडल एजेन्सी को की जायेगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा लिया जायेगा।</p>	<p>विलोपित।</p>
------	---	-----------------

3. 30प्र० खाय प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के क्रियान्वयन के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देश विषयक उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-36/2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक: 21.12.2017 को इस सीमा तक तत्काल प्रभाव से संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष व्यवस्था/शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,  
  
 ( सुधीर गर्ग )  
 प्रमुख सचिव।

संख्या- १८०२०५ (1)/५८-२-२०१९, तिथिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, खाय प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली।
- (2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्राथम एवं द्वितीय), 30प्र०, इलाहाबाद।
- (3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र० शासन।
- (4) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।
- (7) प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानूपर।
- (8) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु लखनऊ।
- (9) निदेशक, उद्यान एवं खाय प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (10) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र० को इस आशस से कि इस शासनादेश एवं गाइड लाइन की 1500 प्रतियां मुद्रित कराकर खाय प्रसंस्करण अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (11) वित (आय-व्यय) अनुभाग-1/वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1
- (12) गार्ड फाईल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

( शकील अहमद सिंहीकी )

अनु सचिव।

**(Letter Head of the Bank)**

**(For Scheme of Technology Up gradation / Establishment/ Modernisation of Food Processing Industries)**

**Certificate**

1. Certified that this bank has appraised the project of M/s ..... (Name and address of the organization) for **Technology Up gradation / Establishment/ Modernisation of Food Processing Industries** of-----(Details of Project UP. Food Processing Industry Policy-2017 grant as per guidelines of the scheme and also sanctioned term loan of Rs. .....lakh (if applicable).
2. It is further certified that we have released Rs..... lakh (-----% of sanctioned term loan) to M/s ..... (Name and address of the organization).
3. We have no objection in releasing of grant if sanctioned by the department of Horticulture & Food Processing, Government of Uttar Pradesh.
4. The bank is agree to adjust the grant in term loan account of the organization.

(Signature)

(Name)

(Branch Manager)

(Branch IFSC Code)

**(Letter Head of Chartered Engineer - Mechanical)**  
**Format for Technical Details of Reefer Vehicle/Mobile pre-cooling van.**

Chassis no. of reefer vehicle/mobile pre-cooling van. :

Make/model :

S. no.	Reefer Vehicle/Mobile pre-cooling van	Technical Description
1.	Container dimensions	20 Standard : 8x8.5'x20', 27 to 28 cum
2.	Insulation details	Thermal Conductivity value/mm
3.	Tare weight	kgs
4.	Gross weight	kgs
5.	Temperature recording	Type
6.	GPS System	Must be fitted
7.	Refrigeration capacity	kw
8.	Refrigerant used	Technical Name of refrigerant
9.	Fresh air exchange	Describe system fitted
10.	Diesel/electric auto switching	Describe dual power unit.
11.	Air flow cum/hr (CFM)	Evaporator air flow in CFM
12.	Temperature control precision +/- °C	Precision in controls in °C
13.	Name of Manufacturer	
14.	Year of Manufacture	
15.	Any design enhancement	Describe design changes in any

Signature and Seal of Chartered Engineer (Mechanical)

Date \_\_\_\_\_